लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शिक्षाकर्मी / डी / 1 / 08 / 119 भोपाल, दिनांक 5/2/08

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः–वर्ष 2003 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के संविदा नवीनीकरण के संबंध में।
संदर्भः–म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्र. एफ 1–4 / 07 / बीस–1 भोपाल, दिनांक 28.06.07 एवं आदेश क्र. एफ 1–29 / 07 / 20–1 / 3158 भोपाल, दिनांक 19.12.07

––0––

उपर्युक्त विषयांतर्गत वर्ष 2003 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने के संबंध में दिनांक 19.12.07 को शासन आदेश जारी किए गए हैं। शासन आदेश दिनांक 28.06.07 की कंडिका 2.5 (क) में यह उल्लेख किया गया था कि संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति काल पूर्ण करने के उपरांत अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता पर विचार एक छानबीन समिति द्वारा किया जाकर यह देखना होगा कि संविदा काल में उनका कार्य विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों पर संतोषजनक रहा हो। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संविदा शाला शिक्षकों के वस्तुपरक मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन प्रपत्र शीघ्र जारी किया जा रहा है। **आदेशानुसार लेख है कि मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त होने के उपरांत ही वर्ष 2003 के संशोधित नियमों के तहत संविदा शाला शिक्षकों अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने की कार्यवाही की जावे।**

संचालक,
लोक शिक्षण,
म.प्र.

पृष्ठां क्रमांक / शिक्षाकर्मी / डी / 1 / 08 / 120 भोपाल, दिनांक 5/02/08
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / मान. राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, मध्यप्रदेश. की ओर प्रेषित कर समस्त नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संचालक,
लोक शिक्षण,
म.प्र.